भारत में महिला साक्षरता संबंधी चुनौतियाँ

रश्मि श्रीवास्तव*

साक्षरता एक मानव अधिकार है, सशक्तिकरण का मार्ग है और समाज तथा व्यक्ति के विकास का साधन। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए भारत सरकार निरक्षरता उन्मूलन हेतु प्रयासरत है। जिसमें राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 5 मई, 1988 में की गई थी। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए तथा इसमें सुधार करते हुए साक्षर भारत कार्यक्रम, 2009 से लागू किया गया। इसके अलावा, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मध्याह्न भोजन, कस्तूरबा गाँधी बालिका योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आदि योजनाएँ क्रियान्वित की जा चुकी हैं। फिर भी हमारे देश में महिला साक्षरता संबंधी अनेक चुनौतियाँ हैं। जिनमें पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की निम्न साक्षरता दर की चुनौती, राज्यवार महिला साक्षरता की दशा व चुनौती, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की साक्षरता संबंधी चुनौतियाँ, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की साक्षरता संबंधी चुनौतियाँ, सूचना तथा विधिक साक्षरता संबंधी नवीन चुनौतियाँ हैं। इस लेख में, इन्हीं चुनौतियों का तथ्यपूर्वक विश्लेषणात्मक अध्ययन कर उचित समाधान सुझाने का प्रयास किया गया है।

शिक्षा आयोग (1964–66) ने अपनी रिपोर्ट में कहा था 'लड़कियों की शिक्षा का कितना महत्व है, इस पर जितना ज़ोर दिया जाए, उतना ही थोड़ा है। हमारे मानवीय साधनों के पूर्ण विकास, घरों के सुधार, निर्माण के लिए महिलाओं की शिक्षा पुरुषों की शिक्षा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि पहले कहा गया है, महिलाओं की शिक्षा प्रजनन दर को घटाने में काफ़ी सहायता कर सकती है।' भारत में महिला शिक्षा की इस स्वीकारोक्ति के बावजूद व्यवहार में महिला शिक्षा के व्यवस्थापन की अपनी विशेष चुनौतियाँ रही हैं। एक लंबी अवधि भारत की महिलाओं ने चारदीवारी के भीतर बिताई है, जिससे तमाम पारिवारिक, सामाजिक व्यवस्थाएँ उसी के अनुरूप बनती रही हैं। इन व्यवस्थाओं और मान्यताओं की जड़ें इतनी मज़बूत एवं दृढ़ हैं कि नयी व्यवस्थाएँ आसानी से इनके साथ हिल-मिल नहीं पातीं। महिला शिक्षा के प्रसार में भी यह समस्या आड़े आती रही है। स्वतंत्र भारत में उनकी शिक्षा के तमाम प्रावधानों, तमाम सहूलियतों के बावजूद हम शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके हैं। हालात यह हैं कि आज भी बड़ी संख्या में महिलाएँ अक्षर ज्ञान से भी वंचित हैं।

* *असिस्टेंट प्रोफ़ेसर*, (बी.एड.) महिला विद्यालय पी.जी. कॉलेज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226 007

साक्षरता शिक्षा की प्रारंभिक अवस्था है। यदि हम अपनी महिलाओं को साक्षरता के घेरे में ही ना ला सकें तो आगे स्थितियाँ ठीक नहीं होंगी। यहाँ सबसे पहले नज़र डालें साक्षरता के आशय पर। साक्षरता का अर्थ है – साक्षर होना अर्थात् अक्षरों की जानकारी से युक्त होना, पढ़ने-लिखने की क्षमता रखने वाला। भारत की जनगणना रिपोर्ट (1981) के अनुसार 'जनगणना प्रयोजन के लिए साक्षर उस व्यक्ति को माना जाता है जो किसी भी भाषा को समझ सकता है, उस भाषा में लिख सकता है और उसे पढ़ सकता है। वह व्यक्ति जो किसी भाषा को केवल पढ़ लेता है, लेकिन लिख नहीं सकता, साक्षर नहीं माना जाता।'

साक्षरता दर

किसी भी देश या भू-भाग की साक्षरता दर वहाँ के कुल लोगों की जनसंख्या व पढ़े-लिखे लोगों के अनुपात को कहा जाता है। इसे ज़्यादातर प्रतिशत में दर्शाते हैं। कहीं-कहीं इसे प्रति हज़ार पर भी दर्शाया जाता है। साक्षरता दर को समझने का गणितीय सूत्र है, साक्षरता दर प्रतिशत = शिक्षित जनसंख्या/कुल जनसंख्या × 100 अर्थात् प्रत्येक सौ की जनसंख्या में कितने लोग साक्षर हैं। भारत की शिक्षा व्यवस्था महिलाओं को शिक्षा के दायरे में लाने के लिए कृत संकल्प रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने इस संबंध में उल्लेख भी किया है। 'शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए एक साधन के रूप में किया जाएगा। अतीत से चली आ रही विकृतियों और विषमताओं को खत्म करने के लिए शिक्षा व्यवस्था का स्पष्ट झुकाव महिलाओं के पक्ष में होगा' महिलाओं की साक्षरता के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि 'महिलाओं में साक्षरता प्रसार को तथा उन रुकावटों को दूर करने को, जिसके कारण लड़कियाँ प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाएगी। इस काम के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी, समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए जाएँगे और उनके कार्यान्वयन पर कड़ी निगाह रखी जाएगी।'

भारत में महिला साक्षरता के विकास हेतु प्रमुख प्रयास

साक्षरता एक मानव अधिकार है, सशक्तिकरण का मार्ग है और समाज तथा व्यक्ति के विकास का साधन है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए भारत सरकार निरक्षरता उन्मूलन हेतु प्रयासरत रही है। शिक्षा नीति की इस संदर्भ में प्रतिबद्धता के मद्देनज़र महिलाओं की साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा तमाम प्रयास भी किए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख उपायों पर एक नज़र डालें। ''राष्ट्रीय साक्षरता मिशन'' देश भर में साक्षरता के प्रसार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस मिशन की शुरुआत 5 मई, 1988 में की गई थी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य 2007 तक 15 से 34 आयु वर्ग के उत्पादक और पुनरुत्पादक समूह के निरक्षर लोगों को व्यावहारिक साक्षरता प्रदान करते हुए 75 प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य हासिल करना था। 2009 में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए तथा इसमें सुधार करते हुए साक्षर भारत कार्यक्रम लागू किया गया। इस मिशन को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किया गया था। प्रारंभ में यह योजना 31 मार्च, 2012

Chapter 1.indd 6 7/4/2018 10:04:07 AM

तक ही लागू की गई तथा इसे 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) में भी शामिल किया गया।

निरक्षरता उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के एक सहायक कार्यक्रम के रूप में ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम मई 1986 में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अधिगमकर्ता में पढ़ने-लिखने की क्षमता का विकास करना, अधिगमकर्ता में अपने अधिकार एवं कर्त्तव्यों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना आदि था। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के सहयोग से संचालित किया गया था। प्रौढ़ महिलाओं को साक्षरता के दायरे में लाने हेतु राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 2 अक्तूबर, 1978 को शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 15–35 आयु वर्ग की महिलाओं और पुरुषों को शिक्षित करना व साक्षरता के लिए प्रेरित करना था। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, स्वयंसेवी संस्थाओं और युवा केंद्रों के संयुक्त प्रयासों से क्रियान्वित किया गया।

केंद्र व राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर निरक्षरता उन्मूलन हेतु अनेक योजनाएँ संचालित कर रही हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, महिला सामाख्या, लोक जुम्बिश, कस्तूरबा गाँधी बालिका योजनाएँ इनमें प्रमुख हैं। आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाएँ साक्षरता के दायरे में आ सकें, इसके लिए भी पर्याप्त प्रयास किए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक भलाई में शैक्षिक विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत सरकार ने समाज के कमज़ोर वर्ग के हितों को प्रोत्साहित करने और समानता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। शैक्षिक संस्थाओ की संख्या बढ़ाकर बेहतर पहुँच सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए गए हैं। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किए जाने की योजना 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना' भी क्रियान्वित की जा चुकी है।

साक्षरता के विकास हेतु राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एन.एल.एम.ए.) की व्यवस्था है। यह राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 1988 में मंत्रिमंडल के अनुमोदन से मानव संसाधन विकास मंत्रालय (तत्कालीन शिक्षा विभाग) के स्वतंत्र और स्वायत्तशासी खंड के रूप में की गई थी। 'साक्षर भारत' के सृजन का स्वप्न साकार करने के लिए केंद्रीय एवं राज्य सरकारों, पंचायत राज संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) और समाज को मिलकर काम करना है। 'साक्षर भारत' का निरूपण 2009 में पुरुष और महिला साक्षरता के अंतर को अधिक से अधिक 10 प्रतिशत तक कम करने की परिकल्पना के साथ प्रौढ़ महिला साक्षरता पर फ़ोकस से राष्ट्रीय स्तर पर 2012 तक 80 प्रतिशत साक्षरता स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया था। मिशन के चार प्रमुख उद्देश्य थे —

1. गैर साक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता और अक्षर ज्ञान प्रदान करना;
2. औपचारिक शिक्षा प्रणाली की समतुल्यता प्राप्त करना;
3. संगत कौशल विकास कार्यक्रम करना; तथा

4. सतत शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करके ज्ञानवान समाज को बढ़ावा देना।

तमाम स्वैच्छिक संगठन एवं समाजसेवी संस्थाएँ भी इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। इनमें महिला साक्षरता के प्रति संवेदनशीलता सर्वोपरि रही है। खेद का विषय है कि तमाम प्रयासों के बावजूद आज भी भारी संख्या में महिलाएँ अक्षर ज्ञान से वंचित हैं। भारत देश में महिला साक्षरता दर को बढ़ाने की अपनी विशेष चुनौती है, इसमें कोई दो राय नहीं।

भारत में महिला साक्षरता संबंधी चुनौती

साक्षरता अथवा अक्षर ज्ञान शिक्षा का वह प्रथम पायदान है जो आगे का मार्ग प्रशस्त करता है, किंतु आज भी विश्व की लगभग 30 प्रतिशत निरक्षर जनसंख्या भारतीय है। यूनेस्को की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में महिलाओं की कुल साक्षरता दर 82.7 प्रतिशत है। जबकि भारत में महिला साक्षरता दर मात्र 62.8 प्रतिशत है, जो कि विश्व में निचले पायदान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका जैसे छोटे से देश में साक्षरता दर 91.7 प्रतिशत है। चीन, ब्राज़ील तथा जापान में महिला साक्षरता दर क्रमशः 94.5 प्रतिशत, 92.9 प्रतिशत तथा 99.0 प्रतिशत है जो कि भारत देश की तुलना में काफ़ी ऊँचा स्तर है।

विगत अनेक वर्षों में प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार और प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के भरसक प्रयासों के बावजूद भारत में निरक्षर महिलाओं की संख्या को खत्म नहीं किया जा सका है। भारत में महिला शिक्षा की अपनी विशेष चुनौतियाँ हैं, महिला साक्षरता भी इससे अछूती नहीं है। जिसकी क्रमबद्ध विवेचना इस प्रकार है —

पुरुषों के मुकाबले निम्न साक्षरता दर की चुनौती

पुरुष प्रधान भारत देश में एक बालक और बालिका को स्कूल भेजे जाने के प्रश्न में प्रारंभिक महत्ता बालक की है। हम अपने आस-पास के दैनिक जीवन में इस तरह के तमाम उदाहरण देख सकते हैं जहाँ बालिका की शिक्षा का प्रश्न दोयम दर्जे का है। भारत की जनगणना, 2011 के प्राप्त आँकड़ों से स्पष्ट पता चलता है कि तमाम संवैधानिक व्यवस्थाओं और सरकारी एवं गैर-सरकारी प्रयासों के बावजूद आज भी महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों से कहीं कम है।

सारणी 1 — भारत में महिला तथा पुरुषों की साक्षरता दर (1951–2011)

वर्ष	व्यक्ति	पुरुष	महिला
1951	18.3	27.2	8.9
1961	28.3	40.4	15.4
1971	34.5	46.0	22.0
1981	43.6	56.4	29.8
1991	52.2	64.1	39.9
2001	64.8	75.3	53.7
2011	73.0	80.9	64.6

(1951–1971— आयु 5+, 1981–2011— आयु 7+)

**स्रोत* — एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस, गवर्मेंट ऑफ़ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ़ ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट

सारणी 1 में प्रदर्शित आँकड़ों में 1951, 1961 तथा 1971 की जनगणना में साक्षरता दर पाँच वर्ष और उससे ऊपर की आबादी से संबंधित है। 1981, 1991, 2001 तथा 2011 की जनगणना में साक्षरता दर सात वर्ष और उससे अधिक की आबादी से संबंधित है। सारणी 1 द्वारा स्पष्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सन् 1951 में भारत में महिला साक्षरता दर मात्र 8.9 थी। हर्ष का विषय है कि 2011 तक महिलाओं की साक्षरता दर बढ़कर 64.6 हो गई है, किंतु तुलनात्मक दृष्टि से ये वृद्धि बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। हम आज भी शत-प्रतिशत महिलाओं को साक्षरता की परिधि में लाने में नाकाम रहे हैं। साक्षरता अथवा अक्षर ज्ञान जो कि शिक्षा का प्रथम पायदान है, यदि यहाँ हम अपने लक्ष्य से मीलों दूर हैं, तो महिलाओं को बेहतर शिक्षा दिला सकने का लक्ष्य एक स्वप्न मात्र होगा। निस्संदेह पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की साक्षरता दर आज भी निम्न है। हमें अपनी तमाम व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ तथा नवीनीकृत करके महिलाओं की साक्षरता दर को बढ़ाना होगा।

राज्यवार महिला साक्षरता की दशा एवं चुनौती

भारत में अलग-अलग राज्यों में महिला साक्षरता दर की अपनी विशेष चुनौतियाँ हैं। सारणी 2 पर नज़र डालने पर पता चलता है कि जहाँ केरल, मिज़ोरम, लक्षद्वीप, गोवा तथा त्रिपुरा में महिला साक्षरता दर क्रमशः 92.1, 89.3, 87.9, 84.7 तथा 82.7 है, वहीं बिहार, राजस्थान, झारखंड, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश में यह प्रतिशत क्रमशः 51.5, 52.1, 55.4, 56.4 तथा 57.2 मात्र है। हमें ध्यान देना होगा, विकास की गति सदा एक साथ, एक लय में चलने पर ज़्यादा सहज व संतुलित होती है। विभिन्न राज्यों में महिला साक्षरता दर में इतना अधिक अंतर संतुलित विकास का पर्याय नहीं है। हमारे नीति-निर्माताओं, शिक्षाविदों तथा समाज सेवी संस्थाओं को इस ओर भी ध्यान देना होगा कि जो राज्य महिला साक्षरता के लक्ष्य में बहुत अधिक पिछड़े हुए हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। विशेष आर्थिक सहायता तथा सुदृढ़ कार्यक्रमों द्वारा वहाँ की महिलाओं को साक्षरता के दायरे में लाने का प्रयास किया जाए। यहाँ इस बात की खोज करना भी ज़रूरी है कि राज्य विशेष की महिलाओं की साक्षरता दर निम्न क्यों रही, उन कारणों को दूर करना भी एक प्रमुख चुनौती है।

सारणी 2 — जनगणना 2011 की कुल साक्षरता दर में पुरुष और महिलाओं के आँकड़ों के आधार पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का स्थान

कुल व्यक्ति			पुरुष		महिला	
राज्य/संघ क्षेत्र		***साक्षरता दर***	***राज्य/संघ क्षेत्र***	***साक्षरता दर***	***राज्य/संघ क्षेत्र***	***साक्षरता दर***
1.	केरल	94.0	केरल	96.1	केरल	92.1
2.	लक्षद्वीप	91.8	लक्षद्वीप	95.6	लक्षद्वीप	89.3

3.	मिज़ोरम	91.3	मिज़ोरम	93.3	मिज़ोरम	87.9
4.	गोवा	88.7	गोवा	92.6	गोवा	84.7
5.	त्रिपुरा	87.2	दमन और दीव	91.5	त्रिपुरा	82.7
6.	दमन और दीव	87.1	त्रिपुरा	91.5	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	82.4
7.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	86.6	पुद्दुचेरी	91.3	चंडीगढ़	81.2
8.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	86.2	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	90.9	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	80.8
9.	चंडीगढ़	86.0	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	90.3	पुद्दुचेरी	80.7
10.	पुद्दुचेरी	85.8	चंडीगढ़	90.0	दमन और दीव	79.5
11.	हिमाचल प्रदेश	82.8	हिमाचल प्रदेश	89.5	नागालैंड	76.1
12.	महाराष्ट्र	82.3	महाराष्ट्र	88.4	हिमाचल प्रदेश	75.9
13.	सिक्किम	81.4	उत्तराखंड	87.4	महाराष्ट्र	75.9
14.	तमिलनाडु	80.1	तमिलनाडु	86.8	सिक्किम	75.6
15.	नागालैंड	79.6	सिक्किम	86.6	तमिलनाडु	73.4
16.	मणिपुर	79.2	मणिपुर	86.1	मेघालय	72.9
17.	उत्तराखंड	78.8	गुजरात	85.8	मणिपुर	72.4
18.	गुजरात	78.0	दादरा और नागर हवेली	85.2	पंजाब	70.7
19.	पश्चिम बंगाल	76.3	हरियाणा	84.1	पश्चिम बंगाल	70.5
20.	दादरा और नागर हवेली	76.2	नागालैंड	82.8	उत्तराखंड	70.7
21.	पंजाब	75.8	कर्नाटक	82.5	गुजरात	69.7
22.	हरियाणा	75.6	पश्चिम बंगाल	81.7	कर्नाटक	68.1
23.	कर्नाटक	75.6	ओडिशा	82.4	असम	67.2
24.	मेघालय	74.4	पंजाब	80.4	हरियाणा	65.9
25.	ओडिशा	72.9	छत्तीसगढ़	80.3	दादरा और नागर हवेली	64.3
26.	असम	72.2	राजस्थान	79.2	ओडिशा	64.4
27.	छत्तीसगढ़	70.3	मध्य प्रदेश	78.7	छत्तीसगढ़	60.2
28.	मध्य प्रदेश	69.3	असम	77.8	मध्य प्रदेश	59.2

29.	उत्तर प्रदेश	67.7	उत्तर प्रदेश	77.3	आंध्र प्रदेश	59.1
30.	जम्मू और कश्मीर	67.2	झारखंड	76.8	अरुणाचल प्रदेश	57.7
31.	आंध्र प्रदेश	67.0	जम्मू और कश्मीर	76.8	उत्तर प्रदेश	57.2
32.	झारखंड	66.4	मेघालय	76.0	जम्मू और कश्मीर	56.4
33.	राजस्थान	66.1	आंध्र प्रदेश	74.9	झारखंड	55.4
34.	अरुणाचल प्रदेश	65.4	अरुणाचल प्रदेश	72.6	राजस्थान	52.1
35.	बिहार	61.8	बिहार	71.2	बिहार	51.5

टिप्पणी— 2011 की जनगणना के लिए 7 वर्ष और उससे ऊपर की आयु की साक्षरता दर के संबंध में मणिपुर के आँकड़ों में सेनापति ज़िले के तीन सब-डिविज़नों—माओमारम, पावोमाता और पुरूल के आँकड़े शामिल नहीं हैं।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की साक्षरता संबंधी चुनौतियाँ

भारत में महिला शिक्षा संबंधी चुनौतियों में एक बड़ी चुनौती अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को शिक्षा के दायरे में लाने की है। जातिगत आधार पर भारतीय समाज उच्च तथा निम्न जाति वर्ग में बँटा हुआ है। हम देखते हैं कि महिला शिक्षा के नज़रिये से इन जाति वर्ग की महिलाओं की अपनी विशेष चुनौतियाँ रही हैं। इन दोनों ही वर्गों की महिलाएँ एक लंबी अवधि तक शिक्षा के प्रकाश से वंचित रहीं, किंतु ऊँची जाति की महिलाएँ इस निरक्षरता के बीच भी परिवारों में शिक्षा के प्रभाव के संसर्ग को खुद-ब-खुद पाती रहीं। उन्होंने अपने पिता, पति और पुत्रों को शास्त्र पढ़ते-बोलते देखा, उस पर चर्चा होते सुना। जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की स्थिति पर नज़र डालें तो इन महिलाओं ने अपने पिता, पति और पुत्रों को भी अशिक्षित ही देखा। उनका किताबों, कापियों में लिखे-पढ़े जाने वाले अक्षरों से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं था। अतः आधुनिक काल में जब महिलाओं को अक्षर ज्ञान (साक्षरता) की परिधि में लाने के लक्ष्य निर्धारित किए गए तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाएँ अधिक जटिलता में दिखीं।

सारणी 3 — अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की साक्षरता दर (7+ आयु वर्ग)*
(प्रतिशत में)

	2001			2011		
	योग	*अनुसूचित जाति*	*अनुसूचित जनजाति*	*योग*	*अनुसूचित जाति*	*अनुसूचित जनजाति*
योग	64.8	54.7	47.1	73.0	66.1	59.0
पुरुष	75.3	67.0	59.0	80.9	75.2	68.5
महिला	53.7	42.0	35.0	64.6	56.5	49.4

*एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस, गवर्मेंट ऑफ़ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ़ ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट, ब्यूरो ऑफ प्लानिंग

सारणी 4 — अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की साक्षरता दर (15+ आयु वर्ग)*
(प्रतिशत में)

	2001			2011		
	योग	*अनुसूचित जाति*	*अनुसूचित जनजाति*	*योग*	*अनुसूचित जाति*	*अनुसूचित जनजाति*
योग	61.0	44.1	40.8	69.3	60.4	51.9
पुरुष	73.4	59.3	54.8	78.8	71.6	63.7
महिला	47.8	28.5	26.7	59.3	48.6	40.2

*एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस, गवर्मेंट ऑफ़ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ़ ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट

सारणी 3 व 4 में दिए गए आँकड़ों पर एक नज़र डालने पर पता चलता है कि सन् 2001 में भारत की कुल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर (64.8) में 7+ आयु वर्ग की अनुसूचित जाति की बालिकाओं की साक्षरता दर मात्र 42.0 है। अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की साक्षरता दर 35.0 मात्र है। 2011 में कुल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर (73.0) में अनुसूचित जाति की महिलाओं की साक्षरता दर बढ़कर 56.5 तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की साक्षरता दर 49.4 हो गई है जो कि बहुत संतोषजनक नहीं है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं का एक बड़ा वर्ग आज भी साक्षरता के दायरे से बाहर है। पंद्रह वर्ष से ऊपर आयु वर्ग की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की साक्षरता दर 2011 में क्रमशः 48.6 तथा 40.2 मात्र थी जो कि 7+ आयु वर्ग से नीचे स्तर पर है। स्पष्ट है कि भारतीय समाज का यह वर्ग अपनी शैक्षिक समस्याओं से उबर नहीं सका है। अतः आवश्यक है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को साक्षर करने हेतु विशेष कार्यक्रम चलाए जाएँ। इनमें जागरूकता व प्रोत्साहन कार्यक्रमों की अपनी विशेष महत्ता है।

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की साक्षरता संबंधी चुनौतियाँ

शहरी एवं ग्रामीण परिवेश में महिला शिक्षा के प्रचार-प्रसार की अपनी विशेष समस्याएँ हैं। शहरी क्षेत्रों में आधुनिकीकरण के प्रसार, संचार साधनों की पहुँच व तीव्र आर्थिक विकास के कारण महिला शिक्षा संबंधी जागरूकता भी तीव्र रही है। शहरी क्षेत्र की महिलाओं को तेज़ी से बदलते सामाजिक परिवेश में सहजता से समायोजित होने के अवसर मिले हैं, जिससे उन्होंने इन बदलावों को सरल रूप में स्वीकार भी किया है। जबकि ग्रामीण परिवेश में आज भी रूढ़िवादी परंपराएँ, पर्दा प्रथा और संसाधनों की अनुपलब्धता वहाँ की महिलाओं को शिक्षा के दायरे में लाने में समस्या खड़ी कर रही है। नेशनल फ़ैमिली हेल्थ सर्वे— 3 (2005–06) की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रो में पुरुष-महिला साक्षरता अनुपात में अंतर शहरी क्षेत्र से अधिक है। शहरी क्षेत्रों में पुरुषों की साक्षरता दर 88 प्रतिशत तथा

महिलाओं की साक्षरता दर 75 है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष साक्षरता दर 75 प्रतिशत की तुलना में महिला साक्षरता दर मात्र 46 प्रतिशत है। ऐसा देखा गया है कि प्रायः सुदूर बस्तियों एवं ग्रामीण इलाकों में सरकारी नीतियों का सही प्रकार से पालन नहीं हो पाता। भौगोलिक जटिलताएँ इन क्षेत्रों में शिक्षकों की उपलब्धता को भी बाधित करती हैं। पुरुष प्रधान मानसिकता, बाल विवाह तथा घरेलू काम-काज में महिलाओं की भागीदारी आदि अनेक ऐसी समस्याएँ हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा को बाधित कर रही हैं।

भदौरिया और गोरे (2011) उल्लेख करती हैं कि सामाजिक व सांस्कृतिक विसंगतियाँ तथा कुरीतियाँ भी महिलाओं की साक्षरता में बाधक हैं। जानवरों के लिए चारा लाना, उपले बनाना, खाना बनाना, परिवार की आय के लिए योगदान देना, पर्दा प्रथा, घरेलू काम-काज में अत्यधिक व्यस्तता आदि अनेक बंदिशें महिलाओं को औपचारिक शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने से वंचित करती हैं। ग्रामीण अंचल की महिलाओं को साक्षर बनाने हेतु उनके बीच जाकर उनके ही साथ मिलकर प्रयास करने होंगे। ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय लोगों को साक्षरता कार्यक्रमों में शामिल करके इन कार्यक्रमों को अधिक सफल बनाया जा सकता है। महिलाओं की शिक्षा के लिए महिलाओं की ही मदद भी इस दिशा में सकारात्मक प्रयास हो सकता है।

सूचना एवं विधिक साक्षरता संबंधी नवीन चुनौतियाँ

भारत एक विकासशील देश है और विश्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को कृतसंकल्प है। विज्ञान एवं तकनीकी के तीव्र विकास ने आज हमारे समक्ष नयी चुनौतियाँ पैदा की हैं। भारत में महिलाओं को विकास की धारा से जोड़ने, उन्हें बराबरी का दर्जा दिलाने और विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक सहूलियते प्रदान करने के लिए तमाम कानूनी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गई हैं। अतः यहाँ महिला साक्षरता कार्यक्रमों की बड़ी चुनौती इन महिलाओं को सूचना साक्षर एवं विधिक साक्षर बनाना भी है। सूचना साक्षरता से आशय एक व्यक्ति की उस योग्यता से है जिससे उसे जिस सूचना की ज़रूरत है, वह उस सूचना के संदर्भित स्रोतों को जान सके। एक सूचना साक्षर व्यक्ति में उस सूचना का मूल्यांकन करने और उस सूचना का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की योग्यता भी हो। चूँकि आज का युग सूचना का युग है। हर तरफ़ से सूचना का विस्फ़ोट हो रहा है, अतः यह ज़रूरी दिखता है कि हम कम-से-कम समय में सही सूचना प्राप्ति के स्रोतों के जानकार हों। महिलाओं में सूचना साक्षरता की विशेष आवश्यकता उनके सशक्तिकरण से संबंधित है।

अतः यह ज़रूरी दिखाई देता है कि साक्षरता अभियानों में महिलाओं को सूचना साक्षरता के दायरे में भी लाने के प्रयास सम्मिलित किए जाएँ। यहाँ एक अन्य मुद्दा विधिक साक्षरता का भी है। विधिक साक्षरता का आशय जनता को कानून से संबंधित सामान्य बातों से परिचित कराकर उनका सशक्तीकरण करने से है। पूर्व में विधिक रूप में साक्षर होने का अर्थ कानूनी दस्तावेज़ों, विचारों, निर्णयों, कानूनों आदि को लिख/पढ़ जाने की क्षमता से था। किंतु अब इसका आशय कानून से संबंधित इतनी

Chapter 1.indd 13 7/4/2018 10:04:08 AM

क्षमता से है जो किसी कानूनी समाज में अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। भारत में महिलाओं का बड़ा तबका विधिक साक्षरता से दूर है। विधिक निरक्षरता के कारण महिलाएँ प्रायः कानून से भयभीत रहती हैं और उससे दूर ही रहना चाहती हैं। कभी-कभी जानकारी के अभाव में कानून के विपरीत आचरण भी कर सकती हैं। वे प्रायः समस्या की स्थिति में कानून से सहायता प्राप्त कर सकने में अक्षम होती हैं। विधिक रूप से निरक्षर महिलाएँ अपने विधिक अधिकारों से भी अनजान होती हैं। वे उनका उपयोग नही कर पातीं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(A) में सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया गया है। गरीबों तथा समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था है। 1987 में पारित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) का गठन इस दिशा में सकारात्मक पहल है। नालसा का अति विस्तृत कार्यक्षेत्र — मुफ़्त कानूनी सेवाएँ, कानूनी सहायता योजना, सलाह और समाधान योजना, स्वैच्छिक सामाजिक सेवा संस्थाओं का सत्यापन आदि है। जिसके तहत नालसा देश के विभिन्न हिस्सों में कानूनी सेवा कार्यक्रमों से जुड़ी बैठकें, सेमिनार और कार्यशालाएँ आयोजित करके विधिक साक्षरता का प्रचार करता है। निस्संदेह महिलाएँ इसका एक हिस्सा भर हैं। विधिक समस्याओं की जटिलता से जूझ रही भारत की महिलाओं के लिए इस संबंध में भी बेहतर प्रयास करने होंगे।

उपर्युक्त विश्लेषण द्वारा स्पष्ट है कि भारत में महिला साक्षरता आज भी एक समस्यात्मक प्रश्न है। स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों बाद भी हम अपने देश की बालिकाओं, यहाँ की महिलाओं को शत-प्रतिशत साक्षरता के दायरे में नहीं ला सके हैं। महिला साक्षरता में उत्तरोत्तर विकास के बावजूद पुरुषों के मुकाबले उनका प्रतिशत कम ही है। विभिन्न राज्यों में महिला साक्षरता दर में भारी असमानता है। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, राजस्थान एवं बिहार जैसे राज्यों में महिला साक्षरता दर अत्यंत पिछड़ी हुई है। हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को भी उच्च जाति वर्ग की महिलाओं के समकक्ष नहीं ला सके हैं। कृषि प्रधान, ग्रामीण पृष्ठभूमि के भारत देश में ग्रामीण स्तर की महिलाओं की साक्षरता दर भी शहरी क्षेत्र से कहीं पिछड़ी हुई है। हाल के वर्षों में सूचना साक्षरता एवं विधिक साक्षरता भी महिलाओं के लिए एक चुनौती साबित हो रही है। हमारे देश की महिलाओं का एक बड़ा वर्ग इनके दायरे से दूर है। अतः ज़रूरी दिखाई देता है कि हमारी सरकार, स्वैच्छिक संगठन एवं समाज सेवी संस्थाएँ एकजुट होकर इस दिशा में व्यवस्थित रूप में प्रयास करें। महिला साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कुछ प्रभावी प्रयास सुझाए गए हैं। जो इस प्रकार हो सकते हैं—

- सरकार द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक कार्यक्रमों का पूरा-पूरा लाभ महिलाओं तक पहुँचना सुनिश्चित किया जाए। प्रायः देखा यही जाता है कि विविध राजनीतिक कारणों से अच्छी से अच्छी योजनाएँ अपने लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पाती हैं।

- भारत में महिला शिक्षा की अपनी विशेष चुनौतियाँ हैं। अतः किसी भी योजना के क्रियान्वयन में महिलाओं हेतु पृथक कार्यक्रम उनकी ज़रूरतों के अनुसार सुनिश्चित किए जाएँ। महिलाओं और पुरुषों के लिए सामूहिक रूप से क्रियान्वित योजनाएँ प्रायः महिलाओं को पूरा-पूरा लाभ नहीं दे पाती हैं।
- महिला साक्षरता चूँकि देश के एक-एक वर्ग, देश के एक-एक हिस्से, गली-गली, दूरस्थ व भौगोलिक दृष्टि के चुनौतीपूर्ण स्थानों में निवास कर रही महिलाओं से संबंधित है, अतः यहाँ एक लक्ष्य हेतु एक जैसी योजना से सफलता नहीं मिलेगी। इन सभी की ज़रूरतों के अनुरूप व्यवस्थाएँ ही इन्हें घरों से निकाल कर अक्षरज्ञान के करीब ला सकेंगी।
- महिलाओं को साक्षर बनाने में एक बड़ी चुनौती परिवारों में महिलाओं की शिक्षा को उपेक्षा से देखा जाना भी है। आज भी दूर-दराज़ के गाँवों, कस्बों में बालिकाओं के अभिभावक यह कहते दिख ही जाएँगे कि 'कौन-सी नौकरी करनी है, घर में रहें, घर का काम-काज सीखें।' इस प्रकार की मानसिकता के बीच रह रही महिलाओं की साक्षरता अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। अतः जागरूकता कार्यक्रम भी महिला साक्षरता कार्यक्रमों का एक हिस्सा हों। पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को साक्षरता के दायरे में लाने के लिए भी विशेष प्रयास करने होंगे। जिसमें प्रोत्साहन एवं पुरस्कार की अपनी विशेष महत्ता हो सकती है।
- महिला साक्षरता की एक बड़ी चुनौती खुद महिलाओं में, कागज़-पेन को हाथ में पकड़ने से होने वाली हिचक भी है। स्कूलों के भीतर ना जा पाने वाली तमाम बालिकाओं और महिलाओं की सोच प्रायः यही हो जाती है कि ये कागज़, पेन, पेंसिल तो उनके लिए है ही नहीं। हमें अपनी बालिकाओं और महिलाओं को इस मानसिकता से निकालना होगा। उन्हें इस मानसिकता से निकाल कर अक्षर ज्ञान प्रदान कर आत्मविश्वास से परिपूर्ण करना होगा।
- महिला साक्षरता कार्यक्रमों में निरक्षर महिलाओं के लिए साक्षर महिलाओं की उपलब्धता भी एक कारगार उपाय हो सकती है। महिला संचालित केंद्रों में वे अधिक सहजता से पढ़ने आ सकेंगी।
- विद्यालयों व साक्षरता केंद्रों से दूर महिलाओं को साक्षरता के दायरे में लाने हेतु घरों के भीतर, गली-मुहल्लों में एकजुट होकर एक अभियान के रूप में निरक्षरता उन्मूलन भाव भी इस समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है। हममें से प्रत्येक साक्षर यदि एक निरक्षर को अक्षर ज्ञान दिए जाने के लिए कृतसंकल्प हो उठे तो देश की एक-एक महिला को साक्षर होते देर नहीं लगेगी। हम देखते हैं कि तमाम घरेलू काम-काज व हुनर, जैसे— खाना पकाना, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई आदि अनेक हुनर हमारे देश की बालिकाएँ घरों के भीतर एक-दूसरे की मदद से आसानी से सीख जाती हैं। हमारे घरों के भीतर महिला साक्षरता के लिए संवेदनशीलता यदि मुखरित हो उठे, तो ये हुनरमंद महिलाएँ निरक्षरता के कलंक से उबर उठेंगी।
- अतः ये ज़रूरी दिखाई देता है कि निरक्षरता उन्मूलन एक आंदोलन के रूप में हमारे दरो-दिवारों पर फैल जाए।

- परिवर्तित सामाजिक परिवेश में महिलाओं को सूचना एवं विधिक साक्षरता के दायरे में लाना भी आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती बनेगी। अतः आवश्यक है कि हम इस संबंध में भी सचेत हों और अपने साक्षरता कार्यक्रमों में इन्हें भी शामिल करें।

आज के आधुनिक परिवेश में एक भी महिला की निरक्षरता हमारी शैक्षिक व्यवस्था पर गहरा काला धब्बा है। हमें अपने देश की एक-एक महिला के हाथों तक अक्षरों की पहचान, उनकी बनावट की कला और उससे निकलते अर्थ की समझ पहुँचानी होगी। एक-एक नज़र को साक्षरता के गुमान से सुनहरी रंगत दें, उन्हें नज़रें उठा, दुनिया देखने की ताकत देनी होगी।

संदर्भ

एडल्ट लिट्रेसी रेट, पॉपुलेशन 15+ इयर, यू.आई.एस. डेटा सेन्टर यूनेस्को, अगस्त 2015.

नेशनल फ़ैमिली हेल्थ सर्वे (एम.एफ.एच.एस.–3) इंडिया (2005–06). जेंडर इक्वेलिटी एंड वुमेन इंपावरमेंट इन इंडिया, अगस्त 2009, इंटरनेशनल इन्स्टीट्यूट फ़ॉर पाप्यूलेशन साइंस, डियोनार, मुम्बई.

भदौरिया, मृदुला और रश्मि गोरे. 2011. भारतवर्ष में साक्षरता के विभिन्न पहलू. *भारतीय आधुनिक शिक्षा*. वर्ष 32, अंक 1, 2011. एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली. पृ. 94.

भारत की जनगणना 1981. श्रृंखला-1, *भारत*. जनसंख्या के अनन्तिम आँकड़े. भारत के महापंजीकार और जनगणना आयुक्त, भारत सरकार, नयी दिल्ली. पृ. 43.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 1986. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति — 1986*. भारत सरकार, शिक्षा विभाग, नयी दिल्ली. पृ. 4–5.

——. 2014. *एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस*. ब्यूरो ऑफ़ प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, गवर्मेंट ऑफ़ इंडिया, नयी दिल्ली.

शिक्षा मंत्रालय. 1968. *शिक्षा आयोग की रिपोर्ट. (1964–66) — शिक्षा और राष्ट्रीय विकास*. प्रथम संस्करण, हिंदी. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली. पृ.152.

——. 2016. *भारत— वार्षिक संदर्भ ग्रंथ*. प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली. पृ. 284–285

——. 2016. *भारत— वार्षिक संदर्भ ग्रंथ*. प्रकाशन विभाग.

www. mhrd.gov.in

www. papers.ssrn.com